कर रहा हूं। हमको दो सौ २५० आदमियों को नौकरी से बाहर भेज देना मुनासिब नजर नहीं आया। हम हर एक का रिकार्ड देख रहे हैं और हर एक के साथ हमारी हमदर्दी है। बाकियों के लिए भी थोड़े दिनों के बाद कुछ न कुछ कर दूंगा।

Shri Nambiar: What exactly is the reason for the retrenchment of these men who have put in eight or nine years of continuous service and who have no blemish in their records, and many of whom have been made quasi-permanent? Why should they be retrenched at all, when there are vacancies? It is only a question of change of management, but Government continue to manage it.

Shri Mehr Chand Khanna: I have just stated that in the conversion of the Kotah House into a Defence Hostel, the demolition of the Constitution House and the conversion of the Janpath Hotel into a public sector undertaking, some retrenchments were inevitable and had to be made. But we have retrenched only those who are on the lowest rung of the ladder. We have made no discrimination, and we have gone to the lowest man possible. That is the general system with Government; whether a person is temporary or quasi-permanent, those who are to be retrenched first are those from the lowest rung of the ladder.

श्री प्र० प्र० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार कर्मचारियों की सरविस कंडीशन्स के मुताबिक अगर उनकी सरविस के रिट्रेंचमेंट का सवाल आता है तो उनको दूसरी जगह नौकरी दी जाती और अगर गैर सरकारी मुहकमों के आदमियों को सरकार लेती है तो उनकी सूटेबिलिटी वगैरह की जांच करने का सवाल पैदा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो कानून गैर सरकारी मुहकमों के लोगों पर लागू होता है उसको सरकारी मुहकमे वालों पर क्यों लागू किया जाता है, सूटेबिलिटी आदि के बारे में, और उनको क्यों आल्टरनैटिव जाब नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री सिहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि २५ मार्च से ३१ मार्च तक बिल्कुल नए आदमी एम्पलाय किए गए हैं और जो पुराने आदमी काम करते थे उनको लोएस्ट कह कर रिट्रेंच कर दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अगर आपका नए आदमियों से उन आदमियों से मतलब है जो कि जनपथ होटल में पांच पांच सात-सात साल से काम कर रहे थे, तब तो ठीक है उनको रखा गया है। गो कि वह सरकारी नौकर नहीं थे, मैं ने उनको रखा। उनके केसेज को देख कर उनको रखा गया है। बिल्कुल नया आदमी कोई नहीं लिया गया। मैं उनके केसेज को देखूंगा, और अगर किसी बिल्कुल नए आदमी को लिया गया है और पुराने आदमियों को उस जगह से निकाल दिया गया है तो मैं उस नए आदमी को निकाल दूंगा।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी

\+

*८७६. श्री कछवाय : श्री बड़े : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री लहरी सिंह : श्री बाल्मीकी :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी होस्टलों अर्थात् कोटा हाउस, वैस्टर्न कोर्ट, पटौदी हाउस, रायसीना होस्टल, लोदी होस्टल, जनपथ और वर्किंग गर्ल्स होस्टल के कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी के नोटिस दे दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के नोटिस देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। ७३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं।

(ख) ये नोटिस कोटा हाउस की इमारत रक्षा मंत्रालय को दे देने, कांस्टीट्यूशन हाउस होस्टल को बन्द कर देने और जनपथ होटल का इंतिज़ाम एक लिमिटेड कम्पनी को सौंप देने के कारण दिये गये हैं।

(ग) सरकार ५६ व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोज़गार ढूंढ़ने में समर्थ हुई है, जिनमें जनपथ होटल्स लिमिटेड के अधीन काम कर रहे ३८ व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। इन ३८ में से अब तक १७ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और १७ ने अस्वीकार कर दिया है।

It is a same question. I have already answered it in reply to the previous question.

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है वे कितने रोज से सरविस कर रहे थे, और क्या जब तक उनको दूसरी सरविस नहीं मिलती उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुआवजे का सवाल पैदा नहीं होता। मैं ने कहा है कि अगर उनकी छुट्टी ड्यू है तो वह छुट्टी ले लें और उसके बाद मैं उनको वापस लेने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी सर्विस में ब्रेक न होने पावे। लेकिन जब काम खत्म हो गया है तो मैं किसी आदमी को नहीं रख सकता जिसका काम न हो।

श्री कछवाय : वे कितने रोज से काम करते थे, इसका जवाब नहीं आया।

श्री मेहर चन्द खन्ना : उनमें से कुछ परमानेंट होंगे, कुछ क्वासी परमानेंट होंगे। और कुछ आरजी भी होंगे। मेरा ख्याल है कि उनमें ज्यादातर आरजी हैं या क्वासी परमानेंट हैं, किसी परमानेंट आदमी को नोटिस नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उनको काम करते कितना अरसा हो गया था इसका कोई आइडिया दे सकते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह कहना तो मुश्किल है।

श्री कछवाय : क्या यह सही है कि अगर कोई आदमी किसी स्थान पर तीन महीने काम कर लेता है तो स्थायी कर दिया जाता है, यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों की तीन महीने से ज्यादा सरविस होने के बाद भी उनको नोटिस क्यों दिया गया ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : आपका पहला एजम्पशन दुरुस्त नहीं है। इसके लिए हमारे यहां होम मिनिस्ट्री के आकायदा ... हैं जिनमें परसेंटज और पीरियड मुकर्रर है।

Dr. L. M. Singhvi: The Minister has said that these notices have been given in consequence of the conversion of the Janpath Hotel into a public sector undertaking. We would like to know in what manner, under what provision of law, it has become necessary, merely because the hotel has been converted into a public sector undertaking, to remove these people from service.

Shri Mehr Chand Khanna: I have answered it.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो आप ने नई कम्पनी को ठेका दिया है तो क्या किसी और कम्पनी से भी पूछताछ की थी और अगर की है तो किस बेसिस पर की है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह पबलिक सैक्टर की अंडरटेकिंग है। इमारत भी सरकार की है और इंतज़ाम भी सरकार का है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अपने हाथ में लेकर किसी दूसरे को तो इस का ठेका नहीं दे देंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं साहब नहीं देंगे । मैं आप काप करना चाहता हूं ।

Shri S. M. Banerjee: The main question which is agitating the minds of those employees who were transferred from other departments to Janpath Hotel is whether their services are likely to be transferred to other Government departments without any break in service and loss in emoluments. I want to know whether this decision has been taken by Government, and if not, why?

Shri Mehr Chand Khanna: I cannot give a categorical assurance. Quite a number of them from these hostels have been diverted to other departments of the Directorate of Estates, and have been absorbed. So far as the others are concerned, I am prepared to look into that.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary in New Delhi

***863. Shri Bhagwat Jha Azad:** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of patients in the only Ayurvedic dispensary under C.G.H. Scheme at Gole Market, New Delhi has been increasing steadily; and

(b) whether any Ayurvedic dispensary under the C.G.H.S. has been opened at Vinay Nagar, New Delhi.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The attendance at the Ayurvedic Dispensary under the C.G.H. Scheme at Gole Market has been fluctuating during the last 10 months. The peak attendance which was in the month of May, 1963 was 4928. In February, 1964 it was 4053.

(b) No, Sir. A proposal to start another Ayurvedic dispensary at Sarojini Nagar is under consideration.

Eastern Zonal Grid

***864. { Shri P. C. Borooah: / Shri Subodh Hansda:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the question of creation of a unified Zonal Power Grid for West Bengal, Bihar and Orissa and the D.V.C. was discussed at a meeting held in Calcutta in January this year; and

(b) if so, with what results?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). Yes, Sir. At the conference convened at Calcutta on the 29th January, 1964, the concept of an inter-connected power grid system for the States of Orissa, Bihar and West Bengal and the D.V.C. was accepted. The composition and functions of the regional agency were also agreed upon. Accordingly the Eastern Regional Electricity Board, has been established.

चर्म रोग 'सोरयासिस'

८६५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सोरियासिस' जैसे चर्म रोग सभी बड़े नगरों (बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता) में व्यापक रूप से फैल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सोरियासिस कोई असामान्य चर्म रोग नहीं है—यह एक जीर्ण रोग है । इस रोग के इलाज के लिये सभी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और विशिष्ट चर्म रोग क्लीनकों में सुविधाएं मौजूद हैं । इसका कारण भली प्रकार विदित न होने से निरोधी उपाय नहीं बरते जा सकते ।